

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2026—ज्येष्ठ 9, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/93//2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मार्च 2026

क्रमांक FINACC-3602/1428/2025.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 49) की धारा-79 की उपधारा (1) में उल्लेख अनुसार छ.ग. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम 82 के उपनियम (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं संरक्षण के संबंध में श्री रामजीवन देवांगन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश पति शिवम विहार कॉलोनी रायपुरा, जिला रायपुर (छ.ग.) को राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ के पद पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दिनांक 29 अप्रैल 2026

क्रमांक/1714/भू-अर्जन/2026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	चितालंका प.ह.नं. 15	1.8673	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा बायपास सड़क चौड़ीकरण चितालंका हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेश ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 982/202512042100030/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मनुवापाली प.ह.नं. 45	27.852	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 987/202512042100029/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	जामगांव प.ह.नं. 44	2.439	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1107/11/अ-82/2023-24.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

683/1	0.235
683/6	0.170

योग	02	0.405
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल.रायगढ़ क्षेत्र को आवासीय परिसर बनाने हेतु आवंटित क्षेत्र में पहुंच मार्ग, सुरक्षागार्ड, कार्यालय वाहन पार्किंग एवं पहुंच मार्ग के दोनों तरफ पेड़ पौधे हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 11 मई 2026

क्रमांक 10/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सक्ती
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-सकराली, प.ह.नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.832 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

911	0.336
956/1	0.166
956/2	0.154
956/3	0.202
958/2	0.121
1000/2	0.073
1000/4	0.121
1000/7	0.053
1000/21	0.142
1000/10	0.028
1000/11	0.024
1000/13	0.020
1000/14	0.040
1000/18	0.040
1000/20	0.085
1001/7	0.085
1001/8	0.020
1001/10	0.142
1001/11	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
1001/5	0.081	2115/4	0.296
1044/3	0.109	2115/5	0.101
1044/4	0.101	2115/9	0.219
1093/1	0.101	2115/10	0.458
1428/7	0.324	2115/12	0.085
1428/8	0.263	2118/4	0.096
1428/9	0.174	2119/1	0.573
1433/1	0.032	2119/3	0.024
1436/2	0.065	2122/1	0.526
1441/1/क	0.370	2131/3	0.388
2113/2	0.150	2131/4	0.388
2113/3	0.146		
2113/8	0.344	योग	52
2113/10	0.077		8.832
2113/11	0.255	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज के डूबान क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सकराली (पूरक प्रकरण) हेतु.	
2113/18	0.061	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है	
2113/20	0.020		
2113/21	0.077		
2113/24	0.125		
2113/27	0.060		
2115/2	0.101	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
2115/3	0.709	अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक File No. GENS/2481/2026-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./104/36/02/04/योजना/बीओसी/2019 दिनांक 07-02-2020, अधिसूचना क्र./106/36/02/04/योजना/बीओसी/2019/2020 दिनांक 22-06-2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10/2020/16 दिनांक 27-02-2021 के माध्यम से संचालित “श्रम मित्र योजना” को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/GENS/2576/2026-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./65/04/योजना/बीओसी/2022/121 दिनांक 09-06-2022 के माध्यम से संचालित “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना” को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/GENS/5276/2026-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 01 दिनांक 02-11-2012 के माध्यम से संचालित “बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना” को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2026

क्रमांक/GENS/1298/2026-Section-Scheme/Registration/Grievance/Legal—“भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्र./78/04/योजना/बीओसी/2023/138 दिनांक 29-03-2023 अधिसूचना क्र./78/04/योजना/बीओसी/2023/146 दिनांक, 07-07-2023 के माध्यम से संचालित “मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना” को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

गिरीश रामटेके
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th November 2025

No. 22610/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Tessy Patel, J.M.S.C. Jagdalpur.

By order of the High Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.